केन्द्र राज्य सम्बंध :

- विधायी सम्बंध
  २४५ - २५४
- प्रशासनिक सम्बंध
  २५५ - २63
  ⇓ (विधायी + प्रशासनिक) भाग-11
- वित्तिय सम्बंध
  २6४ - 300
  ⇓ भाग-12

विधि निर्माण → विधायी सम्बंध

अनु० २४५ :- भारत के लिए संघ विधि बनायेगा।
राज्य के लिए राज्य विधि बनायेगा।
संघ शासित राज्यों के लिए विधि का निर्माण संघ करेगा

अनु० २४६ :- 7वी अनुसूची का उल्लेख है → विधि निर्माण का विभाजन

① संघ सूची — संघ के पास → मूल विषय → 97 → वर्तमान - (100)
② राज्य सूची — राज्य के पास → मूल विषय → 66 → वर्तमान - (61)
③ समवर्ती सूची — संघ व राज्य दोनो के पास → मूल विषय → 47 → वर्तमान → (52)
⇓

→ समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनो के पास है।

→ विधि के टकराव की स्थिति - संघ की विधि लागू होगा।

→ राज्य द्वारा बनायी गयी विधि पर राष्ट्रपति सहमति दे तो संघ की विधि होते हुए भी राज्य की विधि लागू होगा।

संघ सूची

रेलवे सुरक्षा बल
संचार
रक्षा
डाक, बैंक, मुद्रा
जनगणना

राज्य सूची

रेल पुलिस
राज्य सूची
मछली पालन

समवर्ती सूची

जल, वन, शिक्षा
विधि - कानून
IPC, CrPC, अधिनियम
जनसंख्या नियंत्रण

निम्न - 5 शर्तों पर, राज्य सूची के विषय पर भी संघ विधि बना सकेगा

① - अनु० 249 :- यदि राज्य सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा।

⇓

यह राज्य सभा का एकाधिकार है।

यह विधि - 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

② अनु० 250 :- यदि भारत या उसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात काल लागू हो तो राज्य सूची के विषय पर संघ विधि बना सकेगा।

→ रा० आ० का० हटते ही 6 माह तक विधि प्रभावी रहेगा।

(3) अनु० २५२ : दो या दो से अधिक राज्य मीलकर संघ से सिफारिश करे तो संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकेगा।

इस विधि को कोई अन्य राज्य लागू करना चाहें तो लागू कर सकेगा।

इस विधि को हटाने का अधिकार संघ के पास होगा।

(4) - अनु० २५३ : अन्तर्राष्ट्रीय संधि समझौते को पूर्ण करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संघ विधि बना सकेगा।

Imp

प्रशासनिक सम्बंध → (२५५ → २६३)

अनु० २५६ :- राज्य के द्वारा ऐसी को विधि नही बनाया जायेगा, जिससे कि संघ के द्वारा बनायी गयी विधि प्रभावी हो।
(विधि मे बाधा)

अनु० २५७ :- राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया जायेगा जिससे की संघ के द्वारा किये जा रहे कार्य मे बाधा उत्पन्न हो।
(काम-मे बाधा)

अनु-२५८: संघ अपने कार्यों के लिए राज्य को निर्दिष्ट कर सकेगा।

कोयला खनन → संघ
⇓
→ राज्य

अनु-२५८-A: राज्य अपना कार्य संघ से करवा सकेगा

उदा० राज्य मे दंगा या लड़ाई के दौरान CRPF का होना।

अनु-२६२: नदि-जलों के विवादों का निपटारा करने के लिए संघ प्राधिकरण का गठन करेगा।

नदि जल बोर्ड अधि०, 1956

नदि जल विवाद अधि० 1956.